

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

e-mail(✉)address-jd.npuram@gmail.com(☎)07574-250052

क्रमांक / स्था. / माध्य.शि. / 2021 / 2196

होशंगाबाद दिनांक / 06 / 10 / 2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया। इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर विषय हिन्दी में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम,पिता का नाम	पता	रोल नंबर	समन्वित मैरिट क्रम	पात्र केटे गरी	चयन केटेगरी	पदस्थापना विद्यालय का नाम एवं यूडाईस	जिला,
1	NILESH BANOTE, Father's Name: PARASRAM	WARD NO 02 AT BAGDARA PO AMEDA D BALAGHAT BLG 481102, District :BALAGHAT	84668683	5	OBC	UR/X/OP	GMS MANDLA, DISE Code- 23360301702	Harda
2	GANGOTRI PATLE, Father's Name: OMENDRA PATLE	WARD NO 04 HATHODA MIRAGPUR TIRODI BLG 481337, District :BALAGHAT	84950339	18	OBC	UR/X/F	GOVT.HS SONSARKHED A, DISE Code- 23370504003	Hoshan gabad
3	SHOBHA TEMBHRE, Father's Name: ANAND TEMBHRE	W N 02 KATANGI KATANGI KATANGI BLG 481445, District :BALAGHAT	84940732	20	OBC	OBC/X/OP	GOVT. HS ITAWA, DISE Code- 23350910304	Betul
4	KARUNA DEVI PARIHAR, Father's Name: RADHELAL	WARD NO 6 NIRMAL NAGAR WARASEONI WARASEONI BLG 481331, District :BALAGHAT	84944718	22	OBC	OBC/X/OP	GOVT. HS BADGAON, DISE Code- 23350112903	Betul
5	SWATI PATLE, Father's Name: SANTOSH PATLE	WARD 14 AT PATHRI FOGAL TOLA PO CHILLOUD LALBURRA BLG 481331, District :BALAGHAT	84944635	23	OBC	OBC/X/OP	GOVT.HS KALMESHWA RA, DISE Code- 23350105704	Betul
6	DURVESH KUMAR GUJJAR, Father's Name: MAN LAL GUJJAR	WARD NO 12 AT KESHA PO MATE TEH KIRNAPUR BLG 481226, District :BALAGHAT	84940976	26	OBC	OBC/X/OP	GOVT HS KAMTI, DISE Code- 23370110302	Hoshan gabad
7	RAJKUMAR KATRE, Father's Name: BRIJLAL KATRE	WARD NO 04 AT POST KATORI KATORI KHAIRLANJI BLG 481337, District :BALAGHAT	84948826	35	OBC	GFUR/X/OP	GOVT.HS AARI, DISE Code- 23370203507	Hoshan gabad
8	KULDEEP SHARMA, Father's Name: PRAMOD SHARMA	10 SOOKRI ROAD KAUDIA KAUDIA GADARWARA NSP 487555, District :NARSINGHPUR	84945740	67	UR	GFUR/X/OP	GOVT.HS MAHUAKHED A KHURD, DISE Code- 23370514103	Hoshan gabad
9	ASHOK MALVIYA, Father's Name: SUKHNANDAN MALVIYA	58 AT DOHLAN POST BIHRAGAOM BAJRANG CHOWK MULTAI BET 460666, District :BETUL	84950006	188	SC	GFSC/X/OP	NEW HIGH SCHOOL KARANPURA, DISE Code- 23360107902	Harda
10	MEENA DEVENDRA THAVRE, Father's Name: DEVENDRA	WARD NO 06 VILLAGE KIRNAPUR POST KIRNAPUR KIRNAPUR BLG 481115, District :BALAGHAT	85041338	302	SC	SC/X/F	GMS GIRLS CHARWA, DISE Code- 23360305104	Harda

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन

रुपये 32800/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.)
- IV. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- V. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
- VI. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है )
- VII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- VIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- IX. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
- X. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट-.....)

7/ संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

12.

11/ संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

विशेष टीप:- यदि चरित्र / जाति / निःशक्तता / शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(अरविन्द सिंह )

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण  
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

होशंगाबाद दिनांक / 06 / 10 / 2021


पृ. क्रमांक / स्था. / माध्य.शि. / 2021 / 2197  
प्रतिलिपि -

01. माननीय स्कूल शिक्ष मंत्रीजी के विशेष सहायक भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
03. सचिव म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
04. महालेखाकार म.प्र.गवालियर ।
05. आयुक्त लोक शिक्षण म0प्र0भोपाल ।
06. आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद ।
07. कलेक्टर होशंगाबाद / हरदा / बैतूल ।
08. जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद / हरदा / बैतूल की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें । दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता / पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें ।
09. जिला कोषालय अधिकारी होशंगाबाद / हरदा / बैतूल ।
10. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला होशंगाबाद / हरदा / बैतूल ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. / हाईस्कूल जिला होशंगाबाद / हरदा / बैतूल ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी उपस्थिति दें ।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण  
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

प्रारूप

:: शपथ पत्र ::



मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नि.....  
निवासी.....शपथपूर्वक कथन करता/करती  
हूँ-

1. यह मेरा चयन.....पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।

8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ

कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 10 में दी गई समस्त जानकारीयों मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को..... में किया गया है।

शपथग्रहिता